[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 5 अप्रैल, 2017

अधिसूचना
सं0 12/2017-सीमा शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(क) तालिका में, क्रम सं0 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"78 क	1701	कच्ची चीनी के कुल आयात के सकल पांच लाख मीट्रिक टन तक	शून्य	-	3 घ",

(ख) सारणी के पश्चात, परन्तुक में, खंड (ट) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएंगा; अर्थात, : -

"(ठ) 13 जून, 2017 को या उसके पश्चात उक्त सारणी के क्रम सं0 78 क के सामने विनिर्दिष्ट माल" ।

(ग) अनुबंध में, सशर्त सं0 3 ग के बाद निम्नलिखित सशर्त अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्

" 3 घ	कालम (4) में विनिर्दिष्ट डयूटी की दर आयात की ऐसी मात्रा पर लागू होगी जिसके संबंध में आयातक के पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी टैरिफ दर कोटा आबंटन प्रमाण पत्र या लाइसेंस हो, जो कि विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अुनसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना अथवा सावर्जनिक सूचना के अंतर्गत जारी किया गया हो।

(फा.सं.354/78/2009-टीआरयू (भाग)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 10/2017-सीमा शुल्क, तारीख 28 मार्च, 2017 सा.का.नि. 296(अ), तारीख 28 मार्च, 2017 द्वारा किया गया था ।